2N 13019
27 मई 2016

समस्त पत्र--व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये दूरभाष :2529540,25275320
किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तार : यूनिव्हर्सिटी
तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी । फेक्स : 0731-2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विशविद्यालय भवन
इंदौर-252001

कमांक.संविक / 2015-16 /831 दिनांक: 24/05/2016

प्रति,

उपकुलसचिव,परीक्षा ,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर

विषयः-विकलांग एवं छात्र दुर्घटना कोष की राशि में वृद्धि किये जाने बाबद।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यपरिषद की बैठक दि.08.01.2016 में लिये गये निणयानुसार विकलांग एवं छात्र दुर्घटना कोष के बजट प्रावधान में वृद्धि की गई है। इय कारण विकलांग/छात्र दुर्घटना को की सहायता राशि में 20/- के स्थान पर वृद्धि कर 30/- की गई है। तदानुसार एवं निर्देशानुसार सत्र 2016-17 से विश्वविद्यालय अध्ययनशाला,अध्यापन विभाग,सम्बद्ध समस्त शिक्षण संस्थाओं एवं महाविद्यालयों के समस्त नियमित/असंस्थागत/स्वाध्यायी/भूतपूर्व परीक्षार्थियों छात्र/छात्राओं से प्रति सेमेस्टर विकलांग छात्र सहायता कोष की राशि 20/- के स्थान पर 30/- एवं छात्र दुर्घटना कोष की राशि 20/- के स्थान पर 30/-रूपये की धनराशि परीक्षा फार्म भरते समय अन्य शुल्क के साथ जमा कराने की कृपा करें। छात्रकल्याण मंडल कोष की राशि पूर्वानुसार रू.50/- ही रहेगी ।

भवदीय,

हस्ता/-

(डॉ.लक्ष्मीकांत त्रिपाठी)
अधिष्ठाता,छात्रकल्याण

पृष्ठां. कमाक.संविक / 2015-16 /831 दिनांक:24/05/2016

प्रतिलिपिः-

1. माननीय कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिवजी के निजसहायक की ओर सूचनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक,लेखा विभाग,देअविवि,इन्दौर।
3. समस्त प्राचार्य,आदर्श महाविद्यालय,दे.अ.वि.वि.इन्दौर।